न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
पीठासीन अधिकारी नरेश कुमार ठकराल, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 33/2018 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002.

ए. यू. स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड।

प्रार्थी(प्रतिभूत लेनदार)

बनाम

1. बनवारी लाल चौधरी पुत्र प्रभु दयाल, ऋणी
निवासी गढ़टकनेत, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर– 332701।
दूसरा पताः– पट्टा नम्बर 41, संकल्प नं. 08, ढ़ाणी कानाजी बगवाली, ग्राम पंचायत गढ़टकनेत पी.एस. एवं तहसील श्रीमाधोपुर, सीकर–332701।
2. सांवर मल पुत्र प्रभु दयाल, सहऋणी
निवासी बाग कानजी वाला, गांव गढटकनेत, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर–332703
दूसरा पताः– पट्टा नम्बर 42, संकल्प नं. 09, ढ़ाणी कानाजी बगवाली, ग्राम पंचायत गढ़टकनेत, पी.एस. एवं तहसील श्रीमाधोपुर, सीकर–332703।
3. अनिता देवी पत्नी सांवर मल, सहऋणी
निवासी वार्ड नम्बर 12, ढ़ाणी बगवाली, गांव गढटकनेत, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर–332701।
4. सागर मल कलवानिया पुत्र गोपाल, जमानती
निवासी ढाणी विजय नगर, गांव गढ़टकनेत, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर–332701।

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट * सीकर (राज.) *

निर्णय

निर्णय दिनांकः 30 अप्रैल, 2018

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता श्री **सुभाष कुल्हरी** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण **बनवारी लाल चौधरी, सांवर मल, अनिता देवी, सागर मल कलवानिया** को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में **पट्टा नम्बर 41, संकल्प नम्बर 8, ढाणी कानाजी बगवाली, ग्राम एवं ग्राम पंचायत गढटकनेत, पंचायत समिति और तहसील श्रीमाधोपुर, सीकर** जिसकी नाप

जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

333.33 वर्गगज मालिकाना हक बनवारी लाल चौधरी का है एवं जिसकी 4 सीमाएं पूर्व में झाबरमल का बाड़ा, पश्चिम में आम रास्ता, उत्तर में बनवारी लाल का मकान, दक्षिण में रामलाल का खाली जमीन तथा पट्टा नम्बर 42, संकल्प नम्बर 9, ढाणी कानाजी बगवाली, ग्राम एवं ग्राम पंचायत गढटकनेत, पंचायत समिति और तहसील श्रीमाधोपुर, सीकर जिसकी नाप 333.33 वर्गगज मालिकाना हक सांवरमल का है एवं जिसकी 4 सीमाएं पूर्व में झाबरमल का बाड़ा, पश्चिम में आम रास्ता, उत्तर में आम रास्ता, दक्षिण में सांवरमल का मकान, को बंधक रखकर **15,00,,000/**—रूपये (अक्षरे रूपये **पन्द्रह लाख** मात्र) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **12.10.2017** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर ऋणी को नोटिस जारी किया गया। ऋणी की ओर से अधिवक्ता रामेश्वर लाल बिजारणियां ने वकालतनामा पेश किया।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया।

4. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 18 दिसम्बर 2015 से सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

5. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **12.10.2017** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया। जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

6. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वितीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण **बनवारी लाल चौधरी, सांवर मल, अनिता देवी, सागर मल कलवानिया** की ओर से प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में बंधक **पट्टा नम्बर 41, संकल्प नम्बर 8, ढाणी कानाजी बगवाली, ग्राम एवं ग्राम पंचायत गढटकनेत, पंचायत समिति और तहसील श्रीमाधोपुर, सीकर जिसकी**

जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

नाप 333.33 वर्गगज मालिकाना हक बनवारी लाल चौधरी का है एवं जिसकी 4 सीमाएं पूर्व में झाबरमल का बाड़ा, पश्चिम में आम रास्ता, उत्तर में बनवारी लाल का मकान, दक्षिण में रामलाल का खाली जमीन तथा पट्टा नम्बर 42, संकल्प नम्बर 9, ढाणी कानाजी बगवाली, ग्राम एवं ग्राम पंचायत गढटकनेत, पंचायत समिति और तहसील श्रीमाधोपुर, सीकर जिसकी नाप 333.33 वर्गगज मालिकाना हक सांवरमल का है एवं जिसकी 4 सीमाएं पूर्व में झाबरमल का बाड़ा, पश्चिम में आम रास्ता, उत्तर में आम रास्ता, दक्षिण में सांवरमल का मकान, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को इस शर्त पर की प्रकरण में किसी न्यायालय द्वारा स्थगन ना हो, जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

7. आदेश आज दिनांकः 30 **अप्रैल, 2018** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेश कुमार ठकराल)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner